वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,आज, हिन्दुस्तान, जनसदेश टाइम्स, अमर उजाला", समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 04.08.2024

चौराहों पर दिखेगी धर्म और संस्कृति की थीम

जागरण संवाददाता, वाराणसी : शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और पर्यटकों को अच्छा दिखे, इसको लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आर्किटेक्ट के साथ बैठक की।

चौराहों का सुंदरीकरण काशी की कला एवं संस्कृति पर आधारित थीम पर होगा। किन-किन चौराहों पर क्या व्यवस्था है, क्या नया किया जा सकता है।

यातायात सुगम हो और आने वाले पर्यटकों को देखने में अच्छा भी लगे। इसको लेकर आर्किटेक्ट ने प्रेजेंटेशन भी दिया। सुंदरीकरण को लेकर पिछले दिनों वीडीए उपाध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर, ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय सचिव, अपर नगर आयुक्त और नगर नियोजक स्थलीय निरीक्षण किया था।

बैठक में वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा, नगर नियोजक प्रभात कुमार आदि मौजूद थे।

गिलट बाजार तिराहे का माडल● वीडीए

मछोदरी तिराहा पर प्रस्तावित माडल●

बुद्धथीम पर आशापुर चौराहा का तैयार माडल● वीडीए

दैनिक जागरण–दि0 04.08.2024

वीडीए ने दोनों होटल संचालकों से मांगा चार लाख रुपये हर्जाना

जागरण संवाददाता, वाराणसी : छावनी स्थित बुद्ध विहार कालोनी में होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस सील होने के बाद भी संचालन करने और 27 जुलाई को दोनों होटलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में चार लाख छह हजार 666 रुपये खर्च हुए हैं। वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दोनों होटल सील होने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित था। होटल संचालक को खुद अवैध निर्माण गिराने का निर्देश दिया था लेकिन नहीं गिराया। ऐसे में वीडीए ने दोनों होटलों में तोड़ने की कार्रवाई की। संचालक से आने वाले खर्च आंकलन करते हुए नोटिस भेजा गया है। तय तिथि में खर्च राशि नहीं देने पर तहसील के जरिए आरसी जारी की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण—दि0 04.08.2024

नक्शा पास भवनों में होगा कोचिंग संचालन

वीडीए, नगर निगम, अग्निशमन और शिक्षा विभाग की एनओसी पर दें कोचिंग का लाइसेंस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग बेसमेंट तीन युवाओं की मौत होने के बाद कोचिंग संचालन को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के साथ बैठक कर योजना बनाई। शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कोचिंग संचालन की अनुमति देने से पूर्व वीडीए से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जरूर लिया जाए। वीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत भवन में कोचिंग संचालन की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाए।

वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि स्कूल की तरह कोचिंग संचालन के लिए नियम बनाए गए हैं लेकिन ज्यादातर स्थानों पर मनमाने तरीके से कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। कोचिंग का वीडीए से मानचित्र स्वीकृत होने के साथ अग्निशमन विभाग का एनओसी जरूर रहे। इसके अलावा नगर निगम और शिक्षा विभाग से भी अनुमति लेनी होगी।

कोचिंग संचालन को लेकर अधिकारियों संग बैठक करते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग व सीडीओ हिमांशु नागपाल • जागरण

- जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ होगी कार्रवाई
- उपाध्यक्ष ने सीडीओ, नगर निगम और अग्निशमन विभाग के साथ बनाई योजना

यदि इन चारों विभागों का एनओसी नहीं है तो कोचिंग संचालन का लाइसेंस नहीं दिया।

जांच में पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को दोषी मानते हुए कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। कोई घटना-दुर्घटना होने पर उन्हें जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कहा कि कोचिंग का लाइसेंस देने के साथ कमेटी बनाकर जांच कराई जाए कि सुरक्षा के सभी मानक पूरे हैं या नहीं।

बैठक में वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नगर निगम के राकेश कुमार सोनकर, शिक्षा विभाग से ज्ञान प्रकाश व अग्निशमन विभाग से इंद्रजीत वर्मा मौजूद रहे।

बेसमेंट में कारोबार करने पर 26 के खिलाफ मुकदमा

जासं, वाराणसी : अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ वीडीए ने विभिन्न थानों में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने बताया कि चोलापुर में आठ, सारनाथ में चार, चितईपुर में चार, चौबेपुर में पांच, शिवपुर में एक, चौक में चार, कैंट थाने में एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बेसमेंट में अवैध तरीके से कारोबार करने वालों को चेतावनी देने के साथ वाहन पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शनिवार को 18 बेसमेंट की जांच में सभी स्थानों पर कारोबार मिले। जोन तीन में दशाश्वमेध व चेतगंज वार्ड में पांच, जोन चार में भेलूपुर व नगवां वार्ड 13 बेसमेंट में कारोबार मिले। सभी को मानचित्र दिखाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

दैनिक जागरण—दि0 04.08.2024

50 वर्ष पूरे होने पर वीडीए मनाएगा स्वर्ण जयंती

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण का 20 अगस्त को 50 वर्ष पूरे होने पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने बताया कि 50 वर्ष पूरे होने के स्वर्ण जयंती पर शहरवासियों को विशेष सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है। 20 अगस्त को लाभार्थियों को मुख्य अतिथि के हाथों प्रमाणपत्र दिलवाया जाएगा। इसके लिए संपत्ति अनुभाग को निर्देश दिया गया है। लाभार्थियों की सूची बना लें।

वीडीए की ओर से संचालित योजना का लाभ कैसे आमजन को दिया जा सके, इस पर भी विचार किया जा रहा है। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशन में योजना बनाई जा रही है। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 04.08.2024

अनापत्ति मिलने के बाद ही चल सकते हैं कोचिंग

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी सहित चार विभागों की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से कोचिंग चलाने वालोंको सचेत किया गया कि प्रमाण पत्र आज लेने के बाद कोचिंग चला

सकते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से विकास प्राधिकरण नगर निगम, अग्नि समन विभाग से बेसमेंट के लिए अनापत्ति पत्र मिल जानेके बाद ही शिक्षा विभाग उक्त व्यक्ति को कोचिंग चलाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मानचित्र पास होने के बाद कोचिंग संस्थाओंके लाइसेंस जारी हो। इसके लिए अग्निशमन विभाग से कोचिंग चलाने की अनुमति प्राप्त करना अति आवश्यक है। भविष्य में कोचिंग संचालन के लिए नियम की अनदेखी करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कारवाई की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, नगर निगम के राकेश कुमार सोनकर, शिक्षा विभाग के ज्ञान प्रकाश और अग्निशमन विभाग के इंद्रजीत वर्मा मौजूद रहे।

चौराहोंके सुन्दरीकरण पर हुआ विचार-विमर्श

विप्रा उपाध्यक्ष ने शनिवारको डीएलडब्ल्यू में निर्मित किये जा रहे स्कल्पचर को लेकर शनिवारको डाईरेक्टर रेलवे बोर्ड ललित कला

अकादमी के क्षेत्रीय सचिव सहित अपर नगर आयुक्त और नगर नियोजक के साथ ही बैठक के दौरान विचार विमर्श किया। इसमें मुख्य रूपसे चौराहोंके सुंदरीकरणके लिए डीएलडब्ल्यू कमें स्कल्पचर लगाने का निर्णय लिया गया था। शनिवार को बैठक में चौराहों के सुंदरकीरण का एक खाका विप्रा उपाध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया, जिसमें बीरेका में चौराहोंके सुंदरकरण के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान टाउन प्लानर सचिव विकास प्राधिकरण, अपर सचिव और विभाग के आर्टिटेक मौजूद थे।

आज–दि0 04.08.2024

नगवां में चार भवन के निर्माण सीज

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर चार अवैध निर्माण के विरुद्ध सिलिंग कारवाई की गयी। इसमें नगवां वार्ड के मारुति नगर में भवन स्वामी विजय सिंह ने भूतल पर फिनिसिंग का कार्य करा रहे थे जानकारी मिलने पर मौके पर अभियंता पहुंचे और भवन को सिल कर दिया। मारुति नगर में ही गोविंद सिंह नामक व्यक्ति ने सील के नियमों का उल्लंघन करते हुये निर्माण कार्य जारी रखा। मौके पर पहुंची टीम ने आवास को फिर सिल कर दिया और भवन स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर निश्चित किया। मारुति नगर में ही विरेंद्र यादव नामक व्यक्ति ने सिल तोड़कर निर्माण कार्य जारी रखा। इनके विरुद्ध भी लंका थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिये तहरीर दी। नगवां वार्ड के ही मुरारी चौक, सामनेघाट पर शिव प्रकाश यादव ने बिना अनुमति के भवन निर्माण कार्य जारी रखा। टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सिल कर दिया और लंका थाने के अभिरक्षा में सौंप दिया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आर.के.सिंह क्षेत्रीय थाने की पुलिस, सुपरवाइजर और प्रवर्तन दल मौजूद थे।

हिन्दुस्तान–दि0 04.08.2024

वीडीए 20 अगस्त को मनाएगा स्वर्ण जयंती

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण 20 अगस्त को स्वर्ण जयंती मनाएगा। शनिवार को बैठक में उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने प्राधिकरण के 50 वर्ष पूरे होने पर वीडीए की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

हिन्दुस्तान–दि0 04.08.2024

होटलों को तोड़ने का खर्च अधिष्ठाता से वसूलेंगे

- बनारस कोठी, रिवर पैलेस के मालिकों को नोटिस
- 15 दिन के अंदर 4 लाख जमा करने को कहा

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस के अधिष्ठाता से आंशिक ध्वस्तीकरण का खर्च वसूलेगा। शनिवार को वीडीए प्रशासन ने अधिष्ठाता जाफर अली समेत अन्य को चार लाख 6 हजार 666 रुपये की नोटिस भेजी है। वीडीए प्रशासन ने 15 दिन में ये राशि जमा करने को कहा है।

बुद्ध विहार कॉलोनी स्थित दोनों होटल के अंदर ध्वस्तीकरण किया गया था। वीडीए अधिकारियों का कहना है कि ध्वस्तीकरण में लगी मशीनें, उपकरण, जेसीबी, ड्रिल मशीन एवं मजदूरों का खर्च लिया जाएगा। वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट के 50 मीटर दायरे में अवैध निर्माण के प्रावधान के चलते वीडीए ने पिछले शनिवार को कार्रवाई की थी। कॉलोनी में प्लॉट संख्या 18, 19 एवं 20 पर बनारस कोठी एवं 21, 21ए-1, 22, 23 एवं 24 पर होटल रिवर पैलेस बना है।

हिन्दुस्तान –दि0 04.08.2024

अवैध निर्माणों में 26 पर केस दर्ज

- 18 बेसमेंट के दुरुपयोग पर नोटिस जारी हुआ
- कई विभागों की संयुक्त टीम अब करेगी जांच

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण कराने वाले 26 लोगों के खिलाफ शनिवार को अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज कराए। 18 बेसमेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया गया है। वहीं, अब बेसमेंट की जांच वीडीए समेत कई विभागों की संयुक्त टीम करेगी।

अवैध निर्माणों के खिलाफ चोलापुर थाने में 8, सारनाथ, चितईपुर और चौक थानों में 4-4, चौबेपुर में 5 और शिवपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन मुकदमों में मुकेश पाण्डेय, रमेश पटेल, जिउत तिवारी, अमर देव, प्रमिला सिंह, सोनल सिंह, सत्येन्द्र मौर्या, विनोद कुमार, पीजे गुप्ता, गोपी यादव, समारू यादव आदि नामजद किए गए हैं।

विभागों को दी जिम्मेदारी : वीडीए मुख्यालय में बेसमेंट में कोचिंग संस्थानों, दुकानों के संचालन के संबंध में शनिवार को विभिन्न विभागों की बैठक हुई। इसमें संयुक्त टीम का गठन करने का फैसला हुआ। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीडीओ हिमांशु नागपाल भी मौजूद थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोचिंग संचालन की अनुमति देने से पहले संबंधित भवन के स्वीकृत मानचित्र की जांच करने को कहा गया है। अग्निशमन के अधिकारियों को जिले में एनओसी प्राप्त कोचिंग संस्थानों की सूची देने को कहा गया। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, सीटीओ राकेश कुमार सोनकर, शिक्षा विभाग से ज्ञान प्रकाश एवं अग्निशमन विभाग से इंद्रजीत वर्मा मौजूद रहे।

बेसमेंट का दुरुपयोग जारी

शनिवार को वीडीए टीमों ने 18 भवनों के बेसमेंट की जांच की। सभी में मानकों का उल्लंघन पाया गया। इनमें दशाश्वमेध वार्ड में एक, चेतगंज वार्ड में 5, भेलूपुर और नगवा वार्ड में 13 बेसमेंट शामिल हैं। सभी को वीडीए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बेसमेंट की जांच लगातार जारी रहेगी।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 04.08.2024

चिरईगांव ब्लॉक कार्यालय पर रैनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था ध्वस्त

चिरईगांव। स्थानीय ब्लॉक कार्यालय पर निर्मित रैनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पाइप जगह-जगह से फट गयी है। बावजूद इसके बीडीओ दुर्गा प्रसाद प्रजापति का दावा है कि यहां पर रैनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ठीक है। बतादें कि यह ब्लॉक क्रिटिकल जोन में आ चुका है। तेजी से गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सीडीओ ने सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्देश दे रखा है। उसके बाद भी ब्लॉक कार्यालय में रैनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है। छतों से नीचे गिरने वाले वर्षा जल के लिए लगी पाइप टूटी है। कमोवेश यहीं स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य सरकारी भवनों की भी है।

अमर उजाला–दि0 04.08.2024

अवैध निर्माण कराने वाले 26 पर मुकदमा

वाराणसी। वीडीए की टीम ने शनिवार को अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अवैध निर्माण कराने वाले 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें चोलापुर में आठ, सारनाथ में चार, चितईपुर में चार, चौबेपुर में पांच, शिवपुर में एक चौक में चार, कैंट में एक मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं बेसमेंट का व्यवसायिक उपयोग करने वाले 18 लोगों को नोटिस जारी किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि अवैध निर्माण कराने पर मुकेश पांडेय, रमेश पटेल, जिउत तिवारी, अमर देव, प्रमिला सिंह, सोनल सिंह, सत्येन्द्र मौर्या, विनोद कुमार, पीजे गुप्ता, गोपी यादव, समारू यादव खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह बेसमेंट का व्यवसायिक उपयोग करने वाले 18 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो

ग्रीन बेल्ट में बनी कोठी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए की टीम ने वरुणा नदी किनारे ग्रीन बेल्ट के किनारे के निर्माण कार्य का ध्वस्तीकरण किया। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि बुद्ध विहार कॉलोनी, वार्ड-सिकरौल में भूखंड संख्या- 18, 19 और 20 पर अनधिकृत रूप से कोठी का निर्माण किया जा रहा था। यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। निर्माणकर्ता जाफर अली ने नोटिस के बाद भी खुद ध्वस्त नहीं कराया तो वीडीए ने ध्वस्तीकरण में आने वाले खर्चे चार लाख 66 हजार रुपये जमा कराने का नोटिस भी जारी किया है। ब्यूरो